DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

NAME OF NEWSPAPERS-----DATED-----

अंदर पढ़ें

रोक के बावजूद मकान पर बुलडोजर चलता देख कोर्ट ने कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे

नई दिल्ली : सुबह ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के अदालती आदेश के बावजूद ओखला के जाकिर नगर में एक मकान पर डीडीए का बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की लाइव तस्वीरें देखकर दिल्ली हाई कोर्ट बिफर पड़ा। घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने मौखिक टिप्पणी की, कोई कानून व्यवस्था है या नहीं। आदेश की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। • पेज 2

रोक के बावजूद मकान पर बुलडोजर चलता देख हाई कोर्ट ने कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे

अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर दिखाई डीडीए की कार्रवाई

विनीत त्रिपाठी • नई दिल्ली

- अदालत द्वारा मंगलवार सुबह रोक लगाने के बावजूद जाकिर नगर में एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया
- उद्यान निदेशक को संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, 16 को होगी सुनवाई

सुबह ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के अदालती आदेश के बावजूद ओखला के जाकिर नगर में एक मकान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की लाइव तस्वीरें देखकर दिल्ली हाई कोर्ट बिफर पड़ा। घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने मौखिक टिप्पणी की, कोई कानून व्यवस्था है या नहीं।

न्यायमूर्ति गंजू ने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने और प्रतिवादी अधिवक्ता के ध्वस्तीकरण न करने का आश्वासन देने के बाद भी की गई कार्रवाई को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि यह अपने आप में एक विचित्र मामला है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने डीडीए उद्यान विभाग के निदेशक को हलफनामा दाखिल करने और इस संपत्ति के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

ओखला के जाकिर नगर में अदालत द्वारा रोक लगाने के आदेश के बावजूद डीडीए ने इस मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की • वीडियो ग्रैब

यह मामला जाकिर नगर गली नंबर-12 निवासी नसीम अहमद के घर के बाहर डीडीए द्वारा चस्पा किए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस से जुड़ा है। अधिवक्ता तरुण राणा के माध्यम से दायर याचिका में नसीम ने कहा कि नोटिस में वर्ष 2015 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के तहत झुग्गी-झोपड़ी में आधा-पक्का घर ध्वस्तीकरण का जिक्र था। उन्होंने कहा कि उनका भवन इस श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने दलील दी कि उनके पास बिजली का कनेक्शन व अन्य दस्तावेज हैं। इस संबंध में अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार को नसीम की तरफ से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता तरुण राणा ने मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा से मांग की। मामला न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू के समक्ष पेश हुआ और उन्होंने डीडीए को इस संबंध में मंगलवार को रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया था।

जाकिर नगर में चला डीडीए का बुलडोजर: ओखला के जाकिर नगर में मंगलवार को डीडीए ने अतिक्रमणरोधी अभियान चलाया। इस दौरान डीडीए द्वारा करीब 100 झुग्गियों का ध्वस्तीकरण किया गया। बता दें कि जाकिर नगर का कुछ इलाका यमुना से सटा हुआ है और डीडीए इसको अपना बता रहा है। पूर्व में भी इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए ने कार्रवाई की थी। मौके पर अर्धसैनिक बल के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।

ऐसे चला घटनाक्रम

सोमवार को हाई कोर्ट ने मांगा रिकार्ड

सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और अदालत ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता संदीप शर्मा व अधिवक्ता तरुण राणा को मंगलवार को संबंधित रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही डीडीए की तरफ से पेश हुई स्थायी अधिवक्ता मनिका त्रिपाठी ने विभाग से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की।

मंगलवार सुबह 10.30 बजे

ध्वस्तीकरण पर रोक का आदेश

ध्वस्तीकरण के लिए मौके पर टीम पहुंचने पर याची के अधिवक्ता ने मामले को हाई कोर्ट के समक्ष उठाया। अदालत ने डीडीए की अधिवक्ता मनिका त्रिपाठी को निर्देश दिया कि मामले में सुनवाई से पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए। स्थायी अधिवक्ता ने आश्वस्त किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुबह 11:25 बजे

तस्वीरें देख अदालत ने अधिकारियों को तलब किया

सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता तरुण राणा, संदीप शर्मा ने डीडीए द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकरण का वीडियो पेश किया। साथ ही ध्वस्तीकरण स्थल पर मौजूद संपत्ति के मालिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ध्वस्तीकरण करा रहे अधिकारियों की लाइव तस्वीरें अदालत को दिखाई। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने एक बजे अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया।

दोपहर 01:00 बजे

संतोषजनक जवाब नहीं दे सके अधिकारी

अदालत के आदेश पर एक बजे उप-निदेशक, पटवारी समेत अन्य अधिकारी अदालत के समक्ष पेश हुए, लेकिन उनके पास पूरे घटनाक्रम का संतोषजनक जवाब नहीं था। इस पर अदालत ने ध्वस्तीकरण स्थल पर मौजूद रहे अधिकारी को शाम चार बजे पेश होने का आदेश दिया।

शाम 04:00 बजे

वरिष्ठ अधिवक्ता ने पेश हो माफी मांगी

एक बार फिर मामले में सुनवाई और इस बार अधिकारियों की तरफ से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता अर्जुन पंत अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांगी। वहीं, अदालत ने अधिकारियों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अदालत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
WEDNESDAY
AUGUST 09, 2023

Delhi govt plans to create 'urban forest' in Najafgarh

Jasjeev Gandhiok
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The forest and wildlife department is set to create its first Miyawaki forest at Kharkari Jatmal in Najafgarh in southwest Delhi and has floated a tender for the project, officials aware of the matter said on Tuesday. They said that the forest will be created on an area of 2.4 hectares, and added that the department has planned another such forest in Najafgarh's Jainpur village.

The Kharkari Jatmal and Jainpur forests will be treated as pilot projects, and if successful, the department will create more such forests in Delhi, the officials said.

Pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki, a Miyawaki forest has thousands of native tree species grown closely together in a small area.

Compared to a conventional forest, a Miyawaki forest is not only denser, but can also be readied in two to three years. However, experts warn that Miyawaki forests cannot replace the ecological role that conventional forests perform, adding they are an option only for small, cramped urban spaces.

Delhi already has more than 10 Miyawaki forests, created mostly by the Centre, Municipal Corporation of Delhi, NGOs, and individuals. This is the first time that the forest department has made a foray into the technique.

"The idea for this forest was conceptualised and approved last month, and will see high-density plantation in a fairly large plot of over two hectares. Two to three saplings will be planted within one square metre of area," said a forest official.

Navneet Srivastava, deputy conservator of forest (west), who planned the project, said Miyawaki forests can also solve the problem of compensatory afforestation for several developmental projects. "This is a move aimed at balancing both the environment and development," he said, adding that the project will create dense green pockets within busy urban spaces.

However, experts said that Miyawaki forests cannot perform the same ecological roles as a conventional forest. Environmentalist Pradip Krishen described such forests as "unnatural", noting that they are devoid of any shrubs or ground-level vegetation. "Trees are grown less than two feet apart and they are all competing for sunlight. While they grow fast because of this reason, essentially, it is just a green wall and not a forest. This can be adopted in a small space or in a commercial or residential set-up, where the idea is to carry out greening, but there is no requirement or use for such a forest in large public spaces," he said.

Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of DDA's biodiversity parks programme, said, "In a full-fledged forest, there is a top canopy, a middle storey, an understorey in cases, and then ground-level vegetation... It is missing in a Miyawaki forest as only the top canopy or a middle storey is there... such a forest cannot perform the ecological roles a conventional three-layered forest can." CR Babu, head of the Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems said: "The trees in a Miyawaki forest are so close together that they suffer from improper growth; the concept can only work in some urban spaces."

What is a Miyawaki forest?

Pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki, these forests have thousands of native trees grown closely together in a small patch of area, so that they receive sunlight only from the top and they grow upwards, instead of sideways

Experts speak:
"...essentially, it is just a green wall and not a forest"
— Environmentalist Pradip Krishen

Some Miyawaki forests in Delhi: Mayur Vihar Phase 3, Dwarka A-2 block, Brahma apartments in Dwarka Sector 7, Badu Sarai village, **near the CAG building at ITO (in photo)**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI WEDNESDAY AUGUST 09, 2023

Process to change land use for new Ghazipur toll starts

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has initiated the process to change the land use of a plot of land adjacent to the existing Ghazipur toll plaza on the Delhi-Meerut expressway, officials aware of the matter said. Once this process is complete, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) will use this land to develop a new five-lane toll plaza at the border.

Thousands of vehicles enter Delhi through the existing Ghazipur toll plaza every day, but the two-lane toll plaza is not equipped to handle a large traffic volume, and the spot often witnesses sprawling jams, especially during the morning and evening peak hours, and after 10pm, when trucks are allowed to enter the Capital. They said the five-lane toll plaza will help ease these traffic woes.

On Monday, DDA issued a gazette notification, seeking public feedback on changing the land use of a 7,205 sqm land pocket abutting the current toll plaza. The notification, undersigned by commissioner cum secretary D Sarkar, said the Centre proposes to make changes to the Master Plan for Delhi -2021 (Zonal Development Plan of Zone E) by changing the current land use from commercial (warehousing) and recreational use to transportation (toll plaza).

The five-lane toll plaza is likely to ease traffic woes. SANCHIT KHANNA/HT

"Any person having any objection or suggestion to the proposed modification may send the objection in writing to the Commissioner-cum-Secretary or via email to mpd2021.public@dda.org.in within a period of 30 days," the notification says.

Once the public feedback phase is over, DDA is expected to finalise the conditions and charges for transferring the land pocket. An MCD official said, "We have asked the DDA to hand over the portion of vacant land abutting these two booths, which will help resolve the problems faced by commuters and help in segregating the commercial traffic."

Ratish Dhar, who travels from Ghaziabad to Lajpat Nagar for work and crosses the Ghazipur border daily, said non-commercial vehicles are not supposed to pay toll to enter Delhi but get caught in traffic snarls as vehicles merging from the Raj Nagar Extension side do not get a clear passage.

Anuj Chawla, a resident of Ghaziabad, said, "Toll workers keep stopping cab drivers on the middle lane, while regular commuters face delays due to this."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023 ----DATED----

Anti-encroachment drive on floodplain: Residents fume, DDA cites NGT order

Ridhima.Gupta
@timesgroup.com

Photos: Anindya Chattopadhyay

Residents said the demolition started at 10am and was over in an hour

New Delhi: Delhi Development Authority carried out an anti-encroachment drive on the Yamuna floodplain near Zakir Nagar in southeast Delhi on Tuesday. Around 40 slum dwellings were demolished. The residents alleged that they did not receive any notice about the demolition but were shocked to find bulldozers bringing their houses down. DDA officials claimed the drive was on the orders of the National Green Tribunal.

Digging out belongings buried under the debris, Rokaiya, 55, who claims to have lived in the Zakir Nagar slum for two decades, said, "Why was no notice given to us? We were rendered homeless today within a few hours." The widow worried about how she and her two daughters would find shelter for the night.

Like Rokaiya, most women in the slum are daily wage earners as are the menfolk. Brandishing his documents, M. Murtaza, 45, said, "All my family members have voter ID cards, ration cards and other documents proving we are local residents. Despite this, our houses were razed randomly. Is it just because we are poor and our voices do not matter?"

According to the residents, the demolitions began at 10am and finished within an hour. A middle aged man, Aktar, who was busy on a video call showing a demolished house to his brother-in-law's family currently out of the city, rued, "My folks did not even know that when they were away on a trip, their house was razed to the ground. Some neighbours phoned them and my brother-in-law then asked me to salvage their belongings, mostly their two children's books and documents."

Other affected residents expressed their worries about finding immediate shelter, with many despairing that they would be on the roads. N. Nooruddin, 65, who has a limb disability, asked, "Where can I go suddenly? I have no place to be but on the road. Before making us homeless, the officials should have at least thought about our family and children and where we can go." Many others were also concerned about their livestock and flocks of birds with the demolition team having destroyed all animal shelters and cages.

A VICTIM SAYS

Where can I go suddenly? I have no place to be but on the road. Before making us homeless, the officials should have at least thought about our family and children and where we can go

According to a DDA official, "The area where we undertook anti-encroachment actions falls under Jogabai, which is a notified Yamuna floodplain. We are freeing the Yamuna banks of encroachment on NGT's orders. For now, we have carried out demolitions to remove the majority of the illegal structures."

Criticising the razing down of homes, labour rights activist Nirmal Gorana, who was at the demolition site, said, "How can any anti-encroachment drive be taken without giving sufficient notice to the people? No announcements were made and people were not even given time to take out their belongings from their houses. This is completely inhuman." He added, "There are many other structures on the Yamuna floodplain, but only a selected few are being brought down. The marginalised are suffering the most."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023

DDA invites objections to land transfer for toll plaza

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has issued a public notice inviting objections to the proposed modification in the Master Plan for Delhi and changing the land use of 7,205 square metres for construction of a RFID system-based toll plaza near old Ghazipur toll plaza.

"DDA proposes to make some modifications in the Master Plan for Delhi-2021/zonal development plan under Section 11 A of DD Act, 1957. These include changing the land use of the site presently earmarked for 'wholesale/warehousing and recreational (community park/park) purpose' to 'transporation (toll plaza)'. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing in 30 days," stated a public notice issued on Monday.

Officials said that the proposal was cleared by DDA's technical committee in June. "After the completion of the notice period, we will set up a board of inquiry if objections are received and if not, we will put up the proposal before the authority for final approval in its meeting, which will be followed by the final notification by the ministry," said a DDA official.

13
OF 124 ENTRY POINTS TO CITY HAVE RFID SYSTEM

Municipal Corporation of Delhi had earlier sought the land from DDA to mitigate traffic congestion during peak hours. "We have been receiving complaints from people about facing long traffic jams at the Ghazipur border service lane. Presently, we have two RFID booths on the service lane and are collecting toll and environment compensation charges here. We have also set up a facility on pavement to recharge RFID tags. But the collection process results in a long jam because of which we requested DDA to hand over a portion of the vacant land lying next to this booth for constructing the five-lane toll plaza," said an MCD official.

"After the facility is ready, commercial vehicles will be diverted to this plaza to avoid chaos."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---------- नई दिल्ली | बुधवार, 9 अगस्त 2023

मुस्कुराते हुए मिले एलजी-सीएम, इशारों में कसे तंज

दिल्ली सेवा बिल पास होने के दूसरे दिन एक मंच पर दिखे, शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क के उद्घाटन समारोह में की शिरकत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल पास होने के एक दिन बाद मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मंच पर दिखे। इस मौके पर दोनों के मुस्कुराते हुए हावभाव तो सामान्य थे, लेकिन बातों-बातों में एक-दूसरे पर सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश दोनों ने की।

उपराज्यपाल ने दिल्ली के विकास कार्यों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को दिया। जबकि परोक्ष तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी में आप की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है, तभी साल की पहली तिमाही का एमसीडी का राजस्व बढ़ा है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के आईटीओ स्थित शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव पार्क के उद्घाटन समारोह का मंच साझा किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार की ओर से लगातार दिल्ली के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। वे दिल्ली का विकास करने के लिए अनेक योजनाओं को स्वीकृति दे चुके हैं और उनमें से कई योजनाओं के तहत कार्य भी चल रहा है। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास व अन्य योजनाएं दिल्ली के विकास के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेंगे। इसी तरह डीडीए द्वारका में 560 करोड़ रुपये की लागत से भारत वंदना पार्क को विकसित कर रहा है। यह पार्क भी केंद्र सरकार के कारण विकसित हो सका। केंद्र सरकार ने इस पार्क को विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपये फंड उपलब्ध कराया है।

शहीदी पार्क के शुभारंभ के मौके पर मौजूद उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य। अमर उजाला

उधर, मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब उससे बहुत सारी और भी उम्मीदें हैं। खास तौर पर उसे सफाई करनी है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। एमसीडी में हमेशा फंड की कमी रहती है। इसका मुख्य कारण उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, लेकिन अब उसे खत्म करने के प्रयास शुरू हो गए है। एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म होने पर कुछ वर्षों के अंदर वह मुनाफे में चला जाएगा और फंड की कमी नहीं होगी। इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में एमसीडी का राजस्व पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ा है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में निगम का काफी ज्यादा राजस्व बढ़ सकता है। एमसीडी की फंड देने के मामले में हरसंभव मदद की जाएगी। जितना साफ-सुथरा और सुंदर शहीदी पार्क बनाया है, उतनी ही साफ सुथरी और सुंदर पूरी दिल्ली बनानी है। इसमें एमसीडी के साथ ही जनता की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जनता को भी दिल्ली की सफाई में सहभागी बनना है।

शहीदी पार्क के नाम से मशहूर होगी दिल्ली

केजरीवाल ने कहा कि यह शहीदी पार्क में देश की संस्कृति और इतिहास को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जो बहुत ही अद्भुत है। जब हम चंडीगढ़ जाते हैं तो लोग रॉक गार्डन देखने जाने की सलाह देते हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली भी शहीदी पार्क के नाम से मशहूर हो जाएगी। दिल्ली कोई आएगा तो वह लालकिला, कुतुबमीनार के साथ ही शहीदी पार्क भी देखकर जाएगा। हमें दिल्ली के सभी स्कूलों के बच्चों के लिए शहीदी पार्क को देखना आवश्यक कर देना चाहिए। हर स्कूल के बच्चों को शहीदी पार्क में निःशुल्क देखने के लिए लाया जाना चाहिए। इस मौके पर महापौर शैली ओबरॉय, उपमहापौर आले मोहम्मद इकबाल, सदन के नेता मुकेश गोयल, इलाके के विधायक प्रवीन कुमार, पार्षद सारिका सिंह, आयुक्त ज्ञानेश भारती आदि मौजूद रहे।

गौरवमयी इतिहास को समेटे है पार्क

शहीदी पार्क आईटीओ के पास करीब 4.5 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। पार्क भारत के गौरवमयी इतिहास को अंदर समेटे हुए है। पूरे पार्क में लगी कलाकृतियों में लोहे के खराब सामान, बिजली के खंभे पुरानी कारें, ट्रक, पार्कों की ग्रिल, ऑटो मोबाइल पार्ट और पाइप समेत अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। यहां कलाकृतियों को 10 कलाकारों और करीब 700 कारीगरों ने मिलकर करीब छह माह में तैयार किया है। इस पार्क के निर्माण कार्य में 250 टन से अधिक स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है।

700

कारीगरों ने मिलकर करीब छह माह में किया है तैयार

पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए चंपा, फाइकस बैनजामिना, फरकेरिया, ऐरिका पॉम, सिंगोनियम समेत अन्य प्रजाति के 56 हजार पौधे लगाए गए हैं। पार्क में आगंतुकों के लिए विभिन्न सेवाओं का प्रबंध किया गया है। इसमें स्मारिका की दुकानें व फूड कियोस्क आदि शामिल हैं। पार्क को नौ भागों और तीन चित्रशालाओं में बांटा गया है। पार्क में शकुंतला पुत्र भरत और भारत माता की विशाल मूर्ति से लोग रूबरू हो सकेंगे। बीसी 315 से एडी 1044 तक के भारत के स्वर्णिम युग की झलक भी देखने को मिलेगी। राजा पोरस, चाणक्य-चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, समुन्द्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, मिहिर भोज, और राजेंद्र चोला की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। पार्क में चोर सपूतों की विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई की कई कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। राणा सांगा, छत्रसाल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल आदि की प्रतिमाएं लोगों को विदेशी आक्रांताओं से हुए युद्ध से रूबरू कराएंगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

राष्ट्रीय सहारा
NAME OF NEWSPAPERS

अमर उजाला
नई दिल्ली | बुधवार, 9 अगस्त 2023

एलजी व सीएम ने किया

शहीदी पार्क का उद्घाटन

नई दिल्ली एसएनबी । उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नगर निगम द्वारा विकसित शहीदी पार्क का उद्घाटन किया। शहीदी पार्क नगर निगम द्वारा विकसित भारत का प्रथम संग्रहालय उद्यान है। इस मौके पर महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय, उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल, नेता मुकेश गोयल, निगमायुक्त ज्ञानेश भारती व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।

- **4.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस उद्यान में समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की गई है प्रदर्शित**
- **10 कलाकारों ने 700 कारीगरों के साथ मिलकर छह माह में किया है निर्माण**

इस मौके पर विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यहां पर वह आकर खुद को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार दिल्ली के कायाकल्प और विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती रही है। इसी तरह द्वारका में डीडीए द्वारा 560 करोड़ की लागत से भारत वंदना पार्क विकसित किया जा रहा है जो राजधानी को एक नया स्वरूप देगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा यह अद्भुत पार्क है। उन्होंने इस शानदार पहल के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी । उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की तर्ज पर बने इस पार्क में देश की संस्कृति, इतिहास को जिस प्रकार से दिखाया गया है, वह बेहद शानदार और प्रेरक है। उन्होंने बताया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क 250 टन कबाड़ से तैयार किया गया है। एक थीम बेस्ड पार्क है। और दिल्ली में इस तरह का यह तीसरा पार्क है। एमसीडी ने वेस्ट टू वंडर का जो नायाब तरीका देश के सामने रखा है, उससे हम सभी को सीखने की जरूरत है। इस तरह के पार्कों के जरिए दिल्ली को जो स्थायी संपत्ति मिल रही है, वह दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है।

यमुना किनारे ओखला में 20 मकानों व 100 झुग्गियों पर चला बुलडोजर

नई दिल्ली। एनजीटी के आदेश पर डीडीए ने मंगलवार को ओखला में यमुना किनारे अवैध तौर पर बनाए 20 मकान व 100 झुग्गियां तोड़ी गईं। यहां गलियों में भी चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। डीडीए की टीम भारी पुलिसबल व छह बुलडोजरों के साथ जाकिर नगर स्थित गली नंबर सात के अंत में यमुना किनारे पहुंची। इस दौरान डीडीए की टीम ने झुग्गियां तोड़नी शुरू की। हालांकि इलाके के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने कुछ ही पल में लोगों को समझाकर दूर हटा दिया। उधर, इलाके के लोगों ने डीडीए की कार्रवाई को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। इलाके के निवासी चांद ने बताया कि डीडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के संबंध में उनको नोटिस नहीं दिया, जबकि मुमताज ने बताया कि वह घर में अकेली होने के कारण कुछ ही सामान निकाल पाई। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI DATED----------

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023 दैनिक जागरण

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 9 अगस्त 2023

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

पीएलजी/एमपी/0142/2022/एफ–20/ दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र/सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11– क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन–'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **30 [तीस]** दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में अथवा ई–मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफ़ोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधन:

अवस्थिति	क्षेत्रफल हेक्टेयर (वर्ग.मी. में)	दिल्ली मुख्य योजना – 2021/ जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
1	2	3	4	5
गाजीपुर ओल्ड लोकेशन, वर्तमान में एमसीडी टोल टैक्स (एनएच–24)	0.7205 हेक्टेयर (7205 वर्ग.मी.)	व्यावसायिक सी2: होलसेल एवं वेयरहाउसिंग दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार मनोरंजनात्मक (सामुदायिक पार्क/ पार्क/बहुददेशीय/जीआर) जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना–2021 के अनुसार	परिवहन (टोल प्लाजा)	उत्तर: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस–वे दक्षिण: गाजीपुर डेयरी फार्म पूर्व: दिल्ली यूपी बोर्डर पश्चिम: डॉ. हेडगेवार मार्ग

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023 पर भी उपलब्ध है।

[फाइल सं. पीएलजी/एमपी/0142/2022/एफ–20/]
हस्ता./– डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

Follow us on @ddaofficial @official_dda @official_dda_ @Official_dda
Please visit DDA website www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800 110 332

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, AUGUST 9, 2023

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 9 August, 2023

PLG/MP/0142/2022/F-20/ The following modification which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi -2021/Zonal Development Plan of Zone 'E' under Section 11-A of DD Act, 1957, is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority. 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 **or** via e- mail to **mpd2021.public@dda.org.in** within a period of **thirty (30) days** from the date of publication of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her Name, Address and Telephone/Contact Number(s)/E-mail ID which should be readable.

Proposed Modification:

Location	Area Ha (sqm)	Land use as per MPD 2021 & ZDP of Zone E	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Ghazipur old location, currently MCD Toll Tax (NH-24)	0.7205 Ha. (7205 sqm)	Commercial C2: Wholesale & Warehousing As per MPD-2021 Recreational (Community Park/Park/ Multipurpose/ GR) As per ZDP-2021 of Zone E	Transportation (Toll Plaza)	North: Delhi Meerut Expressway South: Ghazipur Dairy Farm East: Delhi-UP Border West: Dr. Hedgewar Marg

The Text/Plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text/plan indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. **https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023**.

[F.No. PLG/MP/0142/2022/F-20/]
Sd/- D. SARKAR, Commissioner-cum-Secretary

Follow us on @ddaofficial @official_dda @official_dda_ @Official_dda
Please visit DDA website www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800 110 332